झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(गोपनीय शाखा)

दुरभाष सं0:– 06432-232680 फैक्स– 06432-232967 ई–मेल:– dcdeoghar@gmail.com

आदेश

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं संभावित प्रसार की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के निदेशानुसार दिनांक–31.07.2020 तक Lockdown की घोषणा सम्पूर्ण राज्य में की गई है। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रासंगिक आदेश ज्ञापांक–684/CS, दिनांक–18.06.2020 एवं ज्ञापांक–1747, दिनांक–26.06.2020 से प्रदत्त निदेशों के अनुसार तत्काल किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक समारोह का आयोजन नहीं किये जाने का निदेश दिया गया है।

विगत दिनों झारखण्ड एवं देवघर जिले में कोरोना संक्रमण में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, अतः यह प्रासंगिक है कि इस ओर विशेष सतर्कता बरती जाय तथा तत्काल किसी प्रकार के राजनैतिक, धार्मिक एवं गैर राजनैतिक समारोहों का आयोजन नहीं किये जायें, जिससे कोरोना के संभावित प्रसार की रोकथाम को प्रभावी बनाया जा सके।

अतः उपरोक्त परिस्थितिजन्य स्थिति को ध्यान में रखकर सम्पूर्ण देवघर जिले में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए आदेश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो इसे सुनिश्चित किया जाय। इस संदर्भ में **किसी भी प्रकार के राजनैतिक, गैर राजनैतिक, धार्मिक आयोजनों या मांगलिक अनुष्ठानों यथा–विवाह यज्ञोपवित, गृहप्रवेश, जन्मदिन, विदाई समारोह, स्वागत समारोह, उद्घाटन, शिलान्यास, खेल समारोह, आम सभा का संबोधन आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों को अगले आदेश तक स्थगित रखने का आदेश दिया जाता है। इसी क्रम में जिलान्तर्गत मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल, कम्युनिटी हॉल, स्टेडियम आदि की बुकिंग भी प्रतिबंधित की जाती है।**

अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर एवं मधुपुर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा को लागू करायेंगे तथा उपरोक्त आदेश को सख्ती से लागू करायेंगे।

9/7/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर

ज्ञापांक 1001/गो०, देवघर, दिनांक 09 जुलाई, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, देवघर/अपर समाहर्त्ता, देवघर/अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर/सारठ/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला/सभी अंचल अधिकारी, देवघर जिला/जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, देवघर/सभी थाना प्रभारी, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर